

**सत्र 2026-27 के लिए बालवाटिका-1 से XII में डीएई वार्डों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश 2026-27**

**Guidelines for Admission to Balvatika- I to XII for DAE Wards for the Session – 2026-27**

**1) प्रवेश के लिए पात्रता/Eligibility for Admission:**

- I. परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिवालय, घटक इकाइयों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों और पूर्णतः नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश के पात्र हैं। ऐसे सभी बच्चों को डीएई का आश्रित माना जाएगा। डीएई या इसकी घटक इकाइयों के किसी कर्मचारी के इस्तीफे या सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में, यदि कर्मचारी अपने बच्चे/बच्चों की शिक्षा एईसी विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में जारी रखना चाहता है, तो सेवा समाप्ति की तिथि से गैर-डीएई आश्रितों के लिए निर्धारित दरों पर लागू शुल्क लिया जाएगा।

Children of employees of the DAE Secretariat, Constituent Units, Projects, Aided Institutes, and Public Sector Undertakings under full control of Department of Atomic Energy (DAE) are eligible for admission in Atomic Energy Central Schools and Junior Colleges. All such children will be considered as DAE wards. In the event of resignation or removal of an employee of DAE or its Constituent Units from service, if the employee wishes to continue the education of his/her child(ren) in AEC Schools/Jr. Colleges, the applicable fees shall be charged at the rates prescribed for Non-DAE wards, with effect from the date of cessation of service.

- II. सीआईएसएफ कर्मचारियों और अन्य ऐसे कर्मियों के बच्चों का प्रवेश, जिनके लिए एईएस/डीएई की विशेष स्वीकृति है, डीएई के बच्चों के समान माना जाएगा, जब तक संबंधित कर्मचारी डीएई इकाइयों में कार्यरत रहता है। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों से डीएई कर्मचारियों के बच्चों के समान शुल्क लिया जाएगा। कर्मचारी के डीएई या इसकी घटक इकाइयों को छोड़ने के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। यदि सीआईएसएफ कर्मि डीएई या इसकी घटक इकाइयों से स्थानांतरण के बाद अपने बच्चों की शिक्षा एईसी स्कूलों/जेसी में जारी रखना चाहते हैं, तो गैर-डीएई बच्चों पर लागू शुल्क लिया जाएगा।

The admission to the wards of CISF employees and others for whom specific approval of AEES/DAE exists would be treated at par with DAE wards as long as the employee concerned continues to work in DAE units. The wards of such employees will be charged fee on par with the wards of DAE Employees. This concession shall cease once the employee leaves DAE or its Constituent Units. If the CISF personnel wish to continue the education of their ward(s) in AEC Schools/JC, after their transfer out of DAE or its constituent Units, fees applicable to Non-DAE wards shall be charged.

- III. डीएई के उन कर्मचारियों के बच्चे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है या जो सेवा के दौरान विकलांग हो गए हैं, उन्हें प्रवेश के लिए डीएई के आश्रितों के समान माना जाएगा।

Children of DAE employees who have superannuated, expired while in service or have become invalidated during service shall be treated at par with DAE wards for admission.

- IV. डीई की संपर्क इकाइयों में कार्यरत खुफिया ब्यूरो (आईबी) कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश, जब तक वे डीई की संपर्क इकाइयों में कार्यरत रहते हैं, डीई के बच्चों के समान ही माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों से डीई कर्मचारियों के बच्चों के समान ही शुल्क लिया जाएगा।

कर्मचारी के डीई या इसकी घटक इकाइयों को छोड़ने के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। यदि कोई आईबी कर्मचारी डीई इकाइयों से स्थानांतरण के बाद अपने बच्चे/बच्चों की शिक्षा आईईएस के स्कूलों में जारी रखना चाहता है, तो उसे गैर-डीई बच्चों के लिए निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

Admission to wards of Intelligence Bureau employees working in liaison units of DAE shall be treated at par with DAE ward as long as the IB employee continues to work in liaison units of DAE. The wards of such employees will be charged fee on par with the wards of DAE Employees. This concession shall cease once the employee leaves DAE or its Constituent Units. If an IB Employee after his/her transfer out of DAE Units wants to continue education of his or her ward(s) in the schools of AEES, the employee has to pay the fee at the rate charged for the non-DAE Wards.

- V. प्रत्येक कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या के लिए, सीबीएसई परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02.08.2023 और एनसीईआरटी दिशानिर्देश देखें।

For maximum student strength in each class, refer CBSE circular No. CBSE/CE/CIRCULAR/2023 dated 02.08.2023 and NCERT guidelines.

## 2) प्रवेश के लिए आयु मानदंड/Age Criteria for Admission:

आईईएस में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई है: (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी शामिल किया जाना चाहिए)

Minimum and maximum age limit for admission to various classes in AEES are given below:

(Child born on 1<sup>st</sup> April should also be considered.)

| कक्षा<br>Class | 31 मार्च, 2026 को न्यूनतम आयु<br>Minimum age on 31 <sup>st</sup> March, 2026 | 31 मार्च, 2026 को अधिकतम आयु<br>Maximum age on 31 <sup>st</sup> March, 2026 |
|----------------|--|---|
| Balvatika-I    | 3 Years  | 4 Years   |
| Balvatika-II   | 4 Years  | 5 Years   |
| Balvatika-III  | 5 Years  | 6 Years   |
| I              | 6 Years  | 8 Years   |
| II             | 7 Years  | 9 Years   |
| III            | 8 Years  | 10 Years  |
| IV             | 9 Years  | 11 Years  |
| V              | 9 Years  | 11 Years  |
| VI             | 10 Years   | 12 Years  |
| VII            | 11 Years   | 13 Years  |
| VIII           | 12 Years   | 14 Years  |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| IX  | 13 Years | 15 Years |
| X   | 14 Years | 16 Years |
| XI  | 15 Years | 17 Years |
| XII | 16 Years | 18 Years |

नोट- दिव्यांग बच्चों के मामले में प्रधानाचार्य द्वारा अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।

Note- The maximum age limit can be relaxed by two years by the Principal in case of Differently abled Children.

3) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करने की प्रक्रिया:

**Procedure for Obtaining & Submission of Application Forms for Admission:**

प्रवेश के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है:

The application form for admission may be obtained in either of the following ways:

- I. मुंबई के अलावा अन्य स्थानों के आईसी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आईईएस/आईसी स्कूलों की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फॉर्म और ₹100/- का आवेदन शुल्क संबंधित आईसी स्कूल/जूनियर कॉलेज में प्रवेश हेतु जमा करना होगा।

Application form for admission can be downloaded from the website of AEES/AEC Schools for admission in AEC Schools other than Mumbai. The duly filled in form along with an application fee of ₹100/- must be submitted to the AEC School/Jr. College as per the residential jurisdiction for grant of admission.

**अथवा/OR**

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र किसी भी आईसी स्कूल/जूनियर कॉलेज के कार्यालय से ₹ 100/- का आवेदन शुल्क ऑनलाइन एसबी कलेक्ट के माध्यम से जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद, विधिवत भरा हुआ फॉर्म संबंधित आईसी स्कूल/जूनियर कॉलेज में प्रवेश हेतु जमा करना होगा (बहु-विद्यालय केंद्र के लिए)।

Application form for admission can also be obtained from the office of any AEC School/Jr. College by paying an application Fee of ₹100/- online through SB Collect. Thereafter, the duly filled in form must be submitted to the concerned AEC School/Jr. College as per the residential jurisdiction for grant of admission (for Multi-School Centre).

4). प्रवेश अनुसूची/Admission Schedule:

सभी विद्यालयों/जूनियर कॉलेजों में बालवाटिका-I, II और III, कक्षा I से X और XII के लिए प्रवेश अनुसूची इस प्रकार है:

Admission schedule for **Balvatika-I, II & III, Class-I to X and XII** for all the schools/Junior Colleges is as follows:

| क्र. स.<br>Sl. No. | गतिविधि / Activity   | दिनांक /Date                | समय/Time                     |
|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 01                 | a. आवेदन पत्र – मुंबई के अलावा अन्य स्थानों के लिए<br>b. Distribution of Application Forms – Other than Mumbai                                   | 21/01/2026 to<br>10/02/2026 | 9am to 1pm<br>(offline form) |
| 02                 | विधिवत भरे हुए प्रवेश प्रपत्रों को सहायक दस्तावेजों सहित जमा करें।<br>Submission of the duly filled in Admission Forms with supporting documents | 22/01/2026 to<br>13/02/2026 | 9am to 1pm                   |
| 03                 | योग्य और पात्र छात्रों की सूची प्रदर्शित करना।<br>Display of the list of eligible and qualified students.  | 17/02/2026                  | 10.00am                      |
| 04                 | डीएई वार्डों का प्रवेश<br>Admission of DAE Wards   | 18/02/2026 to<br>28/02/2026 | 9am to 1pm                   |

A) नोट: कक्षा 11 में प्रवेश का कार्यक्रम संबंधित विद्यालयों द्वारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदर्शित किया जाएगा।

Note: Admission schedule of Class XI will be displayed by respective schools only after declaration of Class-X Board Exam result.

- I. एईईएस के केंद्रीय कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यक्रम में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है।  
No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES.
- II. आवेदन/प्रवेश प्रपत्र जमा करना, चयन सूची का प्रदर्शन, प्रवेश आदि संबंधित एईसी स्कूल में निवास क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। एकाधिक स्कूलों वाले केंद्रों में प्रवेश देने के संबंध में एलएमसी/एईईएस का निर्णय अंतिम होगा, चाहे निवास क्षेत्र कोई भी हो।
- III. Submission of Application/Admission Forms, display of selection lists, admission etc. shall be done at the respective AEC School as per the residential jurisdiction. The decision of LMC/ AEES shall be final in granting the admission at the centers having multiple schools irrespective of residential jurisdiction.

5). शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए डीएई के छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस:

**Fees to be Paid by DAE Students for the Academic year 2026-27:**

- I. प्रवेश के समय अन्य शुल्कों के साथ ₹ 100/- का प्रवेश शुल्क भी देना होगा।  
An Admission Fee of ₹ 100/- is to be paid at the time of admission along with other fees.
- II. डीएई के सभी विद्यार्थियों से प्रवेश के समय सत्र/वार्षिक आधार पर (अर्थात् अर्धवार्षिक/वार्षिक) शुल्क लिया जाएगा। सत्रवार शुल्क भुगतान की स्थिति में, दूसरे सत्र का शुल्क उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में विद्यालय द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार जमा किया जाएगा।

Fees shall be charged from all DAE wards on term/annual basis (i.e., half yearly / annually) at the time of admission. In case of term-wise payment of fee, the second term fee shall be paid in the month of October of that academic session as per the schedule issued by the school.

- III. डीएई, सीआईएसएफ, आईबी और अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के किसी भी आश्रित को किसी भी प्रकार की शुल्क छूट लागू नहीं होगी।

No fee concession of any kind shall be applicable to any of the wards of DAE, CISF, IB and other Central Govt. employees.

- I. डीएई श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए शुल्क:

Fees for Students Seeking Admission under DAE Categories:

| कक्षा<br>Class                                   | शिक्षण शुल्क<br>Tuition Fee    | PUVVN शुल्क<br>PUVVN Fee       | कंप्यूटर शुल्क<br>Computer Fee  |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| बालवाटिका I,II और III<br>/ Balvatika- I,II & III | ₹ 900/- प्रति माह<br>per month | ₹ 300/-प्रति माह/<br>per month | लागू नहीं / N.A.  |
| I to XII   | ₹ 900/- प्रति माह<br>per month | ₹ 300/- प्रति माह<br>per month | कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, यदि छात्र ने कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी को एक विषय के रूप में चुना है:<br>₹50/- प्रति माह<br>For class XI and XII if the student has opted Comp Sc. or Information Tech as one of the subjects: ₹ 50/- per month<br>अन्य के लिए : ₹ 30/-प्रति माह<br>For others: ₹ 30/-per month |

#### छूट /Exemptions:

निम्नलिखित मामलों में ही शिक्षण शुल्क में छूट उपलब्ध है, बशर्ते आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं जो इस बात की पुष्टि करते हों कि अभिभावक के विभाग द्वारा तीसरे बच्चे को बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) नहीं दिया जा रहा है।

Tuition Fee exemption is only available in the following cases, subject to production of the required certificates confirming that Children Education Allowance (CEA) is not extended to the third child by the parent's department.

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वे बच्चे जिनकी तीसरी संतान लड़की है, और  
Wards of Central Government Employees whose third child is girl, and
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के तीसरे बच्चे और उसके बाद के बच्चों।  
Third child onwards of SC/ST employees.

6) एईईएस में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज।

**Documents to be submitted along with the Application Form for Admission in AEES.**

**A) प्रवेश के इच्छुक छात्रों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज:**

**Documents to be submitted for students seeking admission for:**

i). बालवाटिका / Balvatika-I, II, III & कक्षा /Class I

a) मूल जन्म प्रमाणपत्र/Original Birth Certificate

ii). कक्षा/Class II to IX:

a) मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी सी )/

Original Transfer Certificate (TC)

b) पिछले विद्यालय में पढ़ी गई कक्षा की प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्ट कार्ड।

Progress Report / Report Card of the class last studied from the previous school.

iii). कक्षाएँ X और XII/Classes X and XII:

i. मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी सी)/ Original Transfer Certificate (TC)

ii. पिछले विद्यालय में पढ़ी गई कक्षा की प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्ट कार्ड आवश्यक है। Progress Report / Report card of the class last studied from the previous school is required.

iii. कक्षा 9 और उससे आगे के छात्रों के लिए, सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज आवश्यक हैं। Class IX onwards, documents as prescribed under CBSE guidelines.

iv. प्रवेश संबंधी नीति और प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधित शिक्षा बोर्डों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगे, जहां भी यह लागू हो। The policy for admission and the documents required for admissions will depend on the requirements of the respective Boards of Education, where ever applicable.

**B) अभ्यर्थी और माता-पिता के आधार कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति (माता-पिता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति के साथ)।**

Self-attested Photocopy/Scanned copy of Aadhaar Card of the candidate and Parents (Along with an attested copy of ID of parents).

a) माता-पिता के पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति।

Self-attested Photocopy/Scanned copy of Identity card of the parents

b) आवंटन आदेश/पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति (यदि

आवेदक डीएई कॉलोनी के बाहर रहता है।)

Self-attested Photocopy/Scanned copy of the allotment order/address proof  
(If the applicant is residing outside the DAE colony)

- c). बच्चे के नाम पर जाति प्रमाण पत्र (यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य श्रेणी से संबंधित है)।

Caste certificate in the name of the child (If pupil belongs to SC/ST/OBC/Other).

**नोट/Note:**

- i. बहु-विद्यालय केंद्रों में आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार ही डीएई वार्डों में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, एईएस और उसके प्रतिनिधि को किसी भी छात्र/छात्रों को उनकी स्कूली शिक्षा के किसी भी चरण में केंद्र/आवासीय कॉलोनी के एईसी स्कूलों में स्थानांतरित/अंतर-परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

Admission to the DAE wards shall normally be granted as per the residential jurisdiction in multi- school centers. However, AEES and its representative reserve the right to shift/ inter-change any student/students among AEC schools of the Centre/residential colony at any stage of his/her/their schooling.

- ii. यदि आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो इससे प्रवेश रद्द हो जाएगा।

If the information submitted by the applicants in the application form is found to be wrong at any stage, it will lead to the cancellation of admission.

- iii. यदि बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।  
If Aadhaar card of the child is not available, proof of having applied for the same shall be submitted.

.....